"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2011/वाक/पांच (27).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29) दिनांक 26-03-2010 की अनुसूची में अ. क्र. 2 के सामने कॉलम (2) में शब्दों "तले चने एवं" का लोप किया जाए.

2. निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2011" के स्थान पर, अंक "2012" प्रतिस्थापित किया जाए :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16)	30-03-2006
2.	एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29)	12-04-2006
3.	एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56)	14-06-2006
4.	एफ-10/27/2008/वाक/पांच (19)	28-03-2008
5.	एफ-10/33/2008/वाक/पांच (27)	31-03-2008
6.	एफ-10/49/2008/वाक/पांच (38)	25-06-2008
7.	एफ-10/64/2008/वाक/पांच (53)	27-09-2008

(1)	(2)	(3)
8.	एफ-10/03/2009/वाक/पांच (08)	27-01-2009
9.	एफ-10/15/2009/वाक/पांच (25)	27-05-2009
10.	एफ-10/15/2009/वाक/पांच (26)	27-05-2009
11.	एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29)	26-03-2010
12.	एफ-10/26/2010/वाक/पांच (30)	26-03-2010
13.	एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64)	08-10-2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/19/2011/वाक/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की **अधिसूचना** क्रमांक एफ-10/19/2011/वाक/पांच (27), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा **प्रकाशित** किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/19/2011/CT/V(27).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2011.

AMENDMENT

In Schedule to the notification No. F-10/26/2010/CT/V (29) dated 26-03-2010, in column (2) against S. No. 2, the words "Fried grams and" shall be omitted.

2. In the following notifications for the figure "2011" related to period of the notification, the figure "2012" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	F-10/28/2006/CT/V (16)	30-03-2006
2.	F-10/24/2006/CT/V (29)	12-04-2006
3.	F-10/64/2006/CT/V (56)	14-06-2006
4.	F-10/27/2008/CT/V (19)	28-03-2008
5.	F-10/33/2008/CT/V (27)	31-03-2008
6.	F-10/49/2008/CT/V (38)	25-06-2008
7.	F-10/64/2008/CT/V (53)	27-09-2008
8.	F-10/03/2009/CT/V (08)	27-01-2009
9.	F-10/15/2009/CT/V (25)	27-05-2009
10.	F-10/15/2009/CT/V (26)	27-05-2009
11.	F-10/26/2010/CT/V (29)	26-03-2010
12.	F-10/26/2010/CT/V (30)	26-03-2010
13.	F-10/47/2010/CT/V (64)	08-10-2010

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.